



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

क्रमांक : राजरामवि/अल/परीक्षा/2020/ 434

दिनांक : 22-01-2020

मुख्य परीक्षा 2020 के परीक्षा फार्म भरवाने सम्बन्धी विज्ञप्ति

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के निम्नांकित पाठ्यक्रमों के समस्त परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा-2020 के परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट www.rrbmuniv.ac.in पर भरने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है :

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क रु. 100/- सहित	विलम्ब शुल्क रु. 500/- सहित
1.	(i) बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास कोर्स/आनर्स) पार्ट- I के पूर्व छात्र	25.01.2020 से	01.02.2020 से	06.02.2020 से
	(ii) बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास कोर्स/आनर्स) पार्ट- II के नियमित, स्वयंपाठी एवं पूर्व छात्र			
	(iii) बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास कोर्स/आनर्स) पार्ट- III के नियमित, स्वयंपाठी एवं पूर्व छात्र			
2.	(i) बी.सी.ए., बी.बी.ए. पार्ट- I के पूर्व छात्र	31.01.2020 तक	05.02.2020 तक	08.02.2020 तक
	(ii) बी.सी.ए., बी.बी.ए. पार्ट- II के नियमित एवं पूर्व छात्र			
	(iii) बी.सी.ए., बी.बी.ए. पार्ट- III के नियमित एवं पूर्व छात्र			
3.	(i) स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के पूर्वछात्र एवं अंकसुधार			
	(ii) समस्त स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के नियमित, स्वयंपाठी, पूर्वछात्र एवं अंकसुधार			

सामान्य निर्देश

1. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा फार्म दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर सावधानी पूर्वक भरें।
2. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा फार्म में निर्धारित स्थान पर अपना आधार कार्ड नम्बर दर्ज करना है।
3. महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फार्म अग्रेषित करने सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश देखें।
4. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष सुनिश्चित कर लें।
5. जिन छात्रों का पुनर्मूल्यांकन परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र जिस कक्षा के लिए पात्रता रखते हैं, उस कक्षा के लिए निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फार्म को अगली उच्च कक्षा में नियमानुसार परिवर्तित करने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा।
6. परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फार्मों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः निर्धारित समय में सम्बन्धित महाविद्यालय में ही परीक्षा फार्म जमा करावें। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फार्म ही स्वीकार होंगे।
7. विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा-2019 में परीक्षा दे चुके परीक्षार्थी पिछली कक्षा के अनुक्रमांक से परीक्षा फार्म भर सकेंगे। शेष परीक्षार्थी फ्रेश फार्म भरें। विस्तृत निर्देशों का अवलोकन करें।
8. स्नातक (कला/विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर भूगोल परीक्षा में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है/करेंगे, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवाकर

निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा। इस सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध है। तत्पश्चात् प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित महाविद्यालयों में सम्पर्क करें। अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

9. परीक्षा विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in पर उपलब्ध है। परीक्षा सम्बन्धी कतिपय नियमों के लिए परिशिष्ट 'अ' देखें। विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक के सम्बन्धित नियम/परिनियम/ आर्डिनेन्स राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है, जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप में लागू है।
10. परीक्षार्थी आवेदन पत्र निर्देशों को भली-भांति पढ़कर ही भरें। यदि परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार नहीं भरा जाता है तो आवेदन पत्र/परीक्षा निरस्त होने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

नोट :- परीक्षा फार्म भरने सम्बन्धी समस्या के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 0144 2730321, 27 पर सम्पर्क कर सकते हैं।



परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : रात्रभमवि/अल/परीक्षा/2020/ 435

दिनांक : 22/11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (i) समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म महाविद्यालय पोर्टल से प्राप्त सूची के अनुसार सही है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण दिशा-निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।
 - (ii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पार्ट प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों पर आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ-पत्र संबंधित प्राचार्यों द्वारा परीक्षा फार्मों के साथ संलग्न करना होगा।
 - (iii) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य सुनिश्चित कर लें। इस सम्बन्ध में किसी भी अनियमितता के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय जिम्मेदार रहेंगे।
 - (iv) पूर्व की भांति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फार्म अग्रेषण का शुल्क रु. 8/- प्रति छात्र सम्बन्धित महाविद्यालयों को देय होगा।
- आई.टी. प्रभारी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
 - वित्त नियंत्रक, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा-2020 हेतु बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करने का श्रम करें।
 - मीडिया प्रभारी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार अलवर जिले में प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
 - प्रबन्धक, सम्बन्धित बैंक, अलवर।
 - निजी सचिव, माननीय कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
 - समस्त अनुभाग अधिकारी, परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/अकादमिक-11/सेलर, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड शाखा, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
 - सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।


सहायक कुलसचिव (परीक्षा)



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

क्रमांक : रात्रभमवि/अल/परीक्षा/2020/436

दिनांक : 22.01.2020

मुख्य परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने सम्बन्धी दिशा-निर्देश

1. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क एवं आवेदन-पत्र

- अ. सर्वप्रथम छात्र विश्वविद्यालय वेबसाइट www.rrbmuniv.ac.in पर संबंधित कक्षा की श्रेणी (यथा नियमित/स्वयंपाठी/पूर्व छात्र) का चयन कर अध्ययन किये गये विषयों का चयन करते हुये परीक्षा फॉर्म भरेंगे।
- ब. फार्म ऑनलाईन पूर्ण भरने के पश्चात् भरे गये फार्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। इस चरण में फार्म प्रिंट नहीं होगा केवल फीस निर्धारित होगी। निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड (एटीएम)/क्रेडिट कार्ड आदि से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद परीक्षा फार्म का प्रिंट (दो प्रतियों में) ले सकेंगे।
- स. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो कि राजकीय मेडीकल ऑफीसर से प्रति हस्ताक्षरित हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा।

परीक्षार्थी ध्यान रखें :-

- अ. यदि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मान कर प्रारम्भ से नया परीक्षा फॉर्म भरें।
 - ब. परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाएँ सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें।
 - स. एक बार परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात् शुल्क वापस नहीं होगा।
 - द. यदि तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क का ट्रान्जेक्शन फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पुनः ऑनलाईन प्रक्रिया से परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा। फेल ट्रान्जेक्शन का शुल्क लौटाने की कार्यवाही दो सप्ताह में उसी खाते में संभव होगी, जिस खाते से शुल्क जमा हुआ था।
2. विश्वविद्यालय परीक्षा-2019 में प्रविष्ट हो चुके छात्रों के परीक्षा फॉर्म पिछली कक्षा के रोल नम्बर से ही भरे जा सकेंगे। इस फॉर्म की जाँच कर लें।
 3. विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित होने वाले स्नातक पार्ट प्रथम, पी.जी. पूर्वाह्न, डिप्लोमा कर्सेज हेतु फ्रेश परीक्षा फार्म भरने वाले छात्र सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवेदन-पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। ध्यान रहे अपना, पिता व माता का नाम वही भरें जैसा कि बोर्ड/विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका में अंकित है।
 4. निम्न श्रेणी के परीक्षार्थी भी फ्रेश परीक्षा फॉर्म भरेंगे :-
 - अ. ऐसे परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा-2019 में बैठे हैं परन्तु यदि :-
 - (i) किसी कारणवश रोल नम्बर से परीक्षा फॉर्म ऑनलाईन ओपन नहीं हो रहा है।
 - (ii) आर.एल./यू.एम. घोषित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम यदि किसी कारणवश अभी तक घोषित नहीं हुआ है अथवा डाटा अपडेट नहीं हो सका है।
 - (iii) किसी कारणवश विश्वविद्यालय नियमानुसार नियमित/पूर्वछात्र से स्वयंपाठी अथवा स्वयंपाठी से नियमित श्रेणी परिवर्तित कर परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले परीक्षार्थी।
 - (iv) विश्वविद्यालय नियमानुसार महाविद्यालय परिवर्तित कर अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नियमित परीक्षार्थी।
 - ब. जो छात्र मुख्य परीक्षा 2019 में सम्मिलित नहीं हुये थे ऐसे सभी परीक्षार्थी।
 - स. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम-153-बी, जो इस विश्वविद्यालय पर समान रूप से लागू है, के तहत तीन साल के अन्तराल के कारण प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थी।

5. सभी परीक्षार्थियों को निर्धारित स्थान पर अपना आधार कार्ड नम्बर अंकित करना होगा।
6. सम्बन्धित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन कर ऑनलाईन शुल्क जमा करवाने के पश्चात बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।
7. जिन छात्रों ने परीक्षा 2019 में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है तथा उनका पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र जिस कक्षा के लिए पात्रता रखते हैं, उस कक्षा के लिए निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फार्म को अगली उच्च कक्षा में परिवर्तित करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा भरकर बकाया शुल्क तथा अंकतालिका की प्रति सहित विश्वविद्यालय में जमा करावें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात परीक्षा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। पुनर्मूल्यांकन से उत्तीर्ण नियमित परीक्षार्थियों को राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-157-ए (14) जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के तहत परीक्षा परिणाम घोषित होने से 21 दिवस में अथवा वि.वि. द्वारा निर्धारित तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा अन्यथा वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
8. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले अलवर जिले के ऐसे परीक्षार्थी जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय से दे चुके हैं, उनकी 2020 की परीक्षा की व्यवस्था निम्नानुसार है :-

स्नातक

1.	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा-2016 में अथवा इससे पूर्व वर्षों में स्नातक पार्ट-प्रथम में राजस्थान विश्वविद्यालय में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं। ऐसे परीक्षार्थी पुनः पार्ट-प्रथम की परीक्षा में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर परीक्षा में नवीन परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकेंगे।
2.	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा-2019/पूर्व वर्षों में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की स्नातक पार्ट-द्वितीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं। ऐसे पूर्व परीक्षार्थी/स्वयंपाठी श्रेणी के परीक्षार्थियों की परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ही आयोजित होगी। ऐसे परीक्षार्थी राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में आवेदन न करें।
3.	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169-ई के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय परीक्षा-2019 में स्नातक पार्ट प्रथम, स्नातक पार्ट-द्वितीय एवं स्नातक पार्ट तृतीय उत्तीर्ण परीक्षार्थी अंक सुधार हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे परीक्षार्थी राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में आवेदन न करें।
4.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से परीक्षा 2016, 2017, 2018 एवं 2019 में स्नातक पार्ट-प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी स्नातक पार्ट-द्वितीय की परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से ही प्रविष्ट हो सकेंगे, जबकि 2016 से पूर्व के वर्षों में पार्ट प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-153-बी (जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है) के अन्तर्गत तीन साल के अन्तराल के कारण उनकी उक्त पार्ट प्रथम परीक्षा निरस्त मानी जावेगी। ऐसे परीक्षार्थी पुनः पार्ट-प्रथम की परीक्षा में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर परीक्षा में नवीन परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकेंगे।
5.	स्नातक पार्ट-तृतीय परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से पूर्व वर्षों में प्रविष्ट हो चुके परीक्षार्थी पार्ट-तृतीय की परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ऐसे परीक्षार्थी राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में आवेदन न करें।
6.	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169-ई के तहत परीक्षा 2019 में स्नातक पार्ट-तृतीय उत्तीर्ण परीक्षार्थी अंक/श्रेणी सुधार हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा-2020 में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे परीक्षार्थी राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में आवेदन न करें।
7.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक पार्ट-द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी स्नातक पार्ट-तृतीय की परीक्षा हेतु राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में आवेदन न करें।
8.	राजस्थान विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी अन्य विश्वविद्यालय से बी.ए., बी.एससी. उत्तीर्ण परीक्षार्थी बी.ए., बी.एससी. एडीशनल परीक्षा हेतु राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में आवेदन न करें।

स्नातकोत्तर

- | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) | राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण/उत्तरार्द्ध अनुत्तीर्ण/बकाया पेपर वाले परीक्षार्थी आगामी परीक्षा/शेष परीक्षा हेतु राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा-2020 हेतु आवेदन न करें। |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. परीक्षा फार्म जमा करने सम्बन्धी निर्देश:-

- (i) नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फार्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी हैं वहाँ पर जमा करवायें।
 - (ii) पूर्व परीक्षार्थी (Ex-Student) परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे, परन्तु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके हैं, उनके पूर्व परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा फार्म जमा करवा सकेंगे। संबंधित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा फार्म के साथ विश्वविद्यालय को भेजें।
 - (iii) स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र को परीक्षा फार्म पर अंकित महाविद्यालय में जमा करायें।
10. परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फार्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे।
11. (i) ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाईन परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।
(ii) राजस्थान बोर्ड/ राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के अतिरिक्त परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपना मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन) एवं मूल अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें।
12. जो छात्र पूर्व में ही विश्वविद्यालय में नामांकित हैं अर्थात् स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अपनी उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
13. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र की सूचना उनके परीक्षा प्रवेश-पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
14. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
15. स्वयंपाठी एवं पूर्वछात्र ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाकर दो प्रतियों में परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज के सम्बन्धित महाविद्यालय (जो परीक्षा फार्म पर मुद्रित है) में जमा करावेंगे। सम्बन्धित महाविद्यालय परीक्षा फार्मों को निम्नानुसार कक्षावार व्यवस्थित करेंगे :
1. जमा होने वाले ऐसे आवेदन पत्र जिनमें राजस्थान शिक्षा बोर्ड/राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर से पृथक मार्कशीट/ प्रवजन प्रमाण पत्र संलग्न हो, को पृथक से सूचीबद्ध किया जावेगा एवं
 2. उक्त से भिन्न आवेदन पत्रों को पृथक से सूचीबद्ध किया जावेगा।
 3. उक्तानुसार व्यवस्थित आवेदनों को विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराया जावे।

मुख्य परीक्षा 2020 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार है :-

I – स्नातक स्तर (UG) की परीक्षा-2020 के लिए परीक्षा शुल्क

S. No.	Name of Exam	Category of Students				
		Regular	Ex-Students	Non-Collegiate	Vimarsh Shulk for NC	Total Fees for NC
1.	Student already Enrolled B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com.(Hons.)- Part-I	₹ 1320/-	₹ 1630/-	₹ 2360/-	₹1000/-	₹ 3360/-
2.	Student Not Enrolled B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.) /B.Com. (Hons.)- Part-I	Non Raj. Board Students				
		₹ 1940/- (Including Enrl. fee + Elg. fee)	₹ 1630/-	₹ 2980/- (Including Enrl. fee + Elg. fee)	₹1000/-	₹ 3980/-
		Raj. Board Students				
		₹ 1630/- (Including Enrl. fee)	-	₹ 2670/- (Including Enrl. fee)	₹1000/-	₹ 3670/-
3.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-II	₹ 1320/-	₹ 1630/-	₹ 2500/-	₹1000/-	₹ 3500/-
4.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-II with due paper of Part-I	₹ 1780/-	₹ 2220/-	₹ 3540/-	₹1000/-	₹ 4540/-
5.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-III	₹ 1920/-	₹ 2220/-	₹ 3100/-	₹1000/-	₹ 4100/-
6.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-III with due paper of Part-I	₹ 2400/-	₹ 2790/-	₹ 4260/-	₹1000/-	₹ 5260/-
7.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-III with due paper of Part-II	₹ 2450/-	₹ 2880/-	₹ 4400/-	₹1000/-	₹ 5400/-
8.	B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./B.B.A./B.A. (Hons.), B.Com. (Hons.)- Part-III with due paper of Part-I & II	₹ 2880/-	₹ 3320/-	₹ 5430/-	₹1000/-	₹ 6430/-
9.	Physically Challenged Students of Above All Categories	₹ 390/-	₹ 460/-	₹ 900/-	₹1000/-	₹ 1900/-

II – स्नातकोत्तर स्तर (PG) की परीक्षा-2020 के लिए परीक्षा शुल्क

S. No.	Name of Exam	Category of Students				
		Regular	Ex-Students	Non-Collegiate	Vimarsh Shulk for NC	Total Fees for NC
1.	Student already Enrolled M.A./M.Sc./M.Com. (Previous)/All PG Diploma/Ord. 169-E-I	₹ 1700/-	₹ 1920/-	₹ 2790/-	₹1000/-	₹ 3790/-
2.	Student Not Enrolled M.A./M.Sc./M.Com. (Previous)/All PG Diploma	₹ 2320/- (Including Enrl. fee + Elg. fee)	-	₹ 3410/- (Including Enrl. fee + Elg. fee)	₹1000/-	₹ 4410/-
3.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final)/Ord.169/E-(1)/Ord.215/ Ord.238/ Ord.250	₹ 2140/-	₹ 2360/-	₹ 3600/-	₹1000/-	₹ 4600/-
4.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final) (with due papers of Previous/ Ord.169-E-II)	₹ 2730/-	₹ 2940/-	₹ 5000/-	₹1000/-	₹ 6000/-
5.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final) Ord 169 E-II/ Due papers of Final only	-	₹ 1700/-	₹ 2790/-	₹1000/-	₹ 3790/-
6.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final) Due Papers of Previous only	-	₹ 1630/-	₹ 3380/-	₹1000/-	₹ 4380/-
7.	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord.169-D)	-	₹ 3820/-	₹ 5000/-	₹1000/-	₹ 6000/-
8.	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 179)	-	-	₹ 5140/-	₹1000/-	₹ 6140/-
9.	Physically Challenged Students for Above All Categories	₹ 600/-	₹ 680/-	₹ 970/-	₹1000/-	₹ 1970/-

परिशिष्ट-अ

अ-स्नातक परीक्षा हेतु कतिपय नियम

(विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय हेण्डबुक के सम्बन्धित अधिनियम देखें जा सकते हैं, जो राजस्थान विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर उलब्ध है)


1. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-176 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के तहत परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि से ठीक 2½ वर्ष पूर्व से अलवर जिले के निवासी ही स्वयंवाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इस आशय का प्रमाण-पत्र परीक्षा फॉर्म के साथ देना होगा। उक्त प्रावधान से निम्नलिखित को छूट मिलेगी :
 - (अ) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के आश्रित जिनका स्थानान्तरण अलवर जिले में हुआ हो।
 - (ब) ऐसे व्यक्ति जो स्थायी रूप से उक्त जिलों में निवास करने लगे हों।
 - (स) उक्त जिलों के मूल निवासी (Bonafide permanent resident)।
 - (द) ऐसे रक्षा बल (Defence Personnel) जो उक्त जिलों में परीक्षा फॉर्म भरने के दिनांक को पदस्थापित हों।
2. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-170-ए जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार स्वयंपाठी छात्रों के लिए वही पाठ्यक्रम लागू होगा जो नियमित परीक्षार्थियों के लिये विद्यमान होगा, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा स्कीम में समय-समय पर किया गया संशोधन भी लागू होगा।
3. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-175 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति नहीं है :- टैक्सटाईल क्राफ्ट, इन्वेस्टिगेटिव बायोटेक्नोलॉजी शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टैक्सटाईल, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एण्ड देयर यूटीलाइजेशन, रूरल डवलपमेन्ट, सिन्धी, फ्रेन्च जर्मन, रशियन फिजीकल एज्युकेशन, ड्रामेटिक्स जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रापॉलोजी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा मॉस कम्प्यूनिकेशन।
4. स्नातक स्वयंपाठी छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी व सामान्य अंग्रेजी तथा नियमित छात्रों को सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक कम्प्यूटर तथा पर्यावरण अध्ययन विषय को पाठ्यक्रम की अवधि में उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
5. स्नातक स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वैकल्पिक विषय जिसमें प्रयोगिक परीक्षा का प्रावधान है की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित विषय का प्रयोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र से लेना अनिवार्य है। प्रायोगिक प्रशिक्षण का निर्धारित शुल्क सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा कराना होगा तथा प्राप्त प्रमाण-पत्र को प्रायोगिक परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाना होगा। अन्यथा वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
6. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-81-1(A) जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार स्वयंपाठी के रूप में पार्ट-I उत्तीर्ण छात्र यदि श्रेणी बदल कर नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए पार्ट-I 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। सांख्यिकीय (SFS) महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त परीक्षार्थियों को इस अनिवार्यता से छूट मिलेगी। कॉलेज शिक्षा प्रवेश नीति के अनुसार महिलाओं को भी 45 प्रतिशत की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।
7. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-86-B (I) तथा 177 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार विश्वविद्यालय सिंडिकेट से समकक्षता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा ऑटोनोमस महाविद्यालय के स्नातक पार्ट-प्रथम उत्तीर्ण छात्र पार्ट-द्वितीय की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु :-
 - (i) ऐसे छात्र उन्हीं वैकल्पिक विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, जिनका चयन पार्ट-प्रथम में किया था। परन्तु अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी से छूट मिलेगी परन्तु अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक कम्प्यूटर यदि पार्ट-प्रथम के साथ उत्तीर्ण नहीं किये हो तो उनकी परीक्षा देनी होगी।
 - (ii) ऐसे छात्रों की डिबीजन का निर्धारण पार्ट-द्वितीय/तृतीय में प्राप्तांकों के आधार पर होगा तथा उन्हें दो वर्षीय उपाधि प्रदान की जावेगी।

8. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-144 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की सम्बन्धित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
9. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रयोगिक विषय चयन करने का प्रावधान नहीं है।
10. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ परिसयन विषय का चयन नहीं कर सकते हैं।
11. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में पुरुष परीक्षार्थियों को गृह-विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं है।
12. स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विषय का चयन नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थी नहीं कर सकते हैं।
13. स्नातक नियमित/स्वयंपाठी परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-153-B जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार पार्ट-प्रथम/द्वितीय में उत्तीर्ण परीक्षार्थी तीन वर्ष से अधिक अन्तराल के पश्चात अगली कक्षा पार्ट-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उन्हें पुनः उसी कक्षा में सम्मिलित होना होगा परन्तु पूर्व में उत्तीर्ण प्रयोगिक विषय की परीक्षा से छूट मिलेगी।
14. श्रेणी/अंक सुधार -स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) पार्ट-प्रथम/द्वितीय उत्तीर्ण परीक्षार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169ई(i) जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष अंक/श्रेणी सुधार हेतु उन्हीं विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यह ध्यान रखें कि ऐसे परीक्षार्थियों को प्रयोगिक विषयों (यदि हों) की परीक्षा पुनः देनी होगी।
15. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-193-सी(i) जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जावेंगे।
16. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार नॉन कॉमर्स परीक्षार्थियों को बी.कॉम पार्ट-प्रथम में अतिरिक्त अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एण्ड अकाउन्टेन्सी की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
17. स्नातक ऑनर्स बी.बी.ए. एव बी.सी.ए. पाठ्यक्रम केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिये ही लागू है।
18. पूर्वछात्र (Ex-Student) अधिनियम-164 के अनुसार ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो सम्बन्धित कक्षा में अनुत्तीर्ण रहे थे, वे पुनः उसी कक्षा के पूर्वछात्र (Ex-Student) के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन्हें प्रायोगिक विषयों की पुनः परीक्षा देने से छूट मिलेगी। सभी पूर्व छात्रों के परीक्षा फार्म उसी महाविद्यालय में जमा होंगे जहाँ के वे नियमित परीक्षार्थी रहे थे।
19. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-182 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के उपरान्त लौटाया नहीं जावेगा।
20. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-168-ए एवं बी जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में दो डिग्रीयों की परीक्षा नहीं दे सकते हैं अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाएँ निरस्त करने का प्रावधान है।
21. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169-H जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है तो परीक्षा परिणाम/अंकतालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।
22. स्नातक पार्ट- II एवं स्नातक पार्ट- III के परीक्षार्थी किसी कारण से फ्रेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय उन्हीं विषयों का चयन करेंगे जिनका चयन उन्होंने क्रमशः स्नातक पार्ट- I व स्नातक पार्ट- II में किया था। दोनों में भिन्नता होने पर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
23. स्नातक (बीए, बीएससी एवं बीकॉम) ऑनर्स कोर्स पार्ट-प्रथम में प्रवेश से 6 वर्ष की अवधि में ही पूर्ण करनी है, अतः अपात्र परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवायें।

ब- स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु कतिपय नियम

24. स्नातक परीक्षा के उपरोक्त बिन्दु संख्या 1, 2, 5, 8, 19, 20 व 21 स्नातकोत्तर परीक्षा में भी लागू होंगे।
25. एम.ए./एम.एस.सी (वार्षिक पद्धति) भूगोल तथा गणित विषय में भी विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा फार्म भर सकते हैं। बी.टेक उत्तीर्ण छात्र एम.ए./एम.एस.सी मेथेडिक्स के लिए आवेदन पत्र नहीं भरें। एम.ए./एम.एस.सी मेथेडिक्स के लिए स्नातक स्तर पर मैथेमेटिक्स विषय होना आवश्यक है।
26. श्रेणी/अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) परीक्षार्थियों के लिये प्रावधान :-

(i)	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169-E(i) जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षा-2017 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी/अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्हें (विज्ञान विषय में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्र सहित) सभी प्रश्न-पत्रों में परीक्षा देनी होगी।
(ii)	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169-E(ii) जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षा-2017 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी एक या अधिकतम दो प्रश्न-पत्र (सैद्धान्तिक) में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक प्रश्न-पत्रों में अंक सुधार की सुविधा नहीं है।
(iii)	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-169-D जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार विश्वविद्यालय से परीक्षा-2017 में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी, पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध के सभी विषयों (विज्ञान विषय में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्र सहित) में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार उन्हीं विषयों में इस अधिनियम के तहत परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।
(iv)	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम-179 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार इस विश्वविद्यालय के अलावा सभी मान्य विश्वविद्यालय से पिछले वर्षों में एम.ए./एम.कॉम. में उत्तीर्ण विद्यार्थी उन्हीं विषयों में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार इस अधिनियम के तहत प्रीवियस और फाईनल के सभी विषयों में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। उक्त केवल एम.ए./एम.कॉम. के परीक्षार्थियों के लिए लागू है।
(v)	एम.ए./एम.एस.सी/एम.कॉम के नियमित परीक्षार्थी को पूर्ण अनुत्तीर्ण रहने पर पूर्वछात्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्रों में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन करना होगा।


परीक्षा नियंत्रक 20/10/2020